प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 418/2022 दिनांक – 20-10-2022
2. (अ) अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7**
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – .....
   (स) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – ....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 365 समय – 4.00PM
   ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 19.10.2022 समय – 09.29 ए.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 17.10.2022 समय – 02.30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – टाईपशुदा।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उतर पूर्व लगभग 06 किलोमीटर
   (ब) पता :– रामसागर चौराहा, माता का थान जोधपुर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – श्री मनोज ग्वाला (ब) पिता/पति का नाम – श्री तेजाराम
      (स) जन्म तिथि/वर्ष – 32 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
      (य) व्यवसाय – प्रोपर्टी का कार्य (र) पता – नया जाटावास, मदेरणा कॉलोनी कृषिमण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

श्री बीरबलराम पुत्र श्री खियाराम जाति विश्नोई उम्र 44 वर्ष निवासी भादूओ की ढाणिया, भाखरी, पोस्ट ढेलाना जिला जोधपुर हाल निवासी मकान नं. 23 शान्ति विहार, मगरा पूंजला, गांधीनगर के पीछे माता का थान रोड़, पुलिस थाना माता का थान, पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 25,21000/–रूपये (25 लाख रूपये डमी करेंसी के नोट व 21 हजार रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट)**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर

विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं मनोज ग्वाला पुत्र श्री तेजाराम उम्र 32 वर्ष निवासी नया जाटावास, मदेरणा कॉलोनी कृषिमण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर का रहने वाला हूँ। भदवासिया पुंजला क्षेत्र में खसरा नं. 88, 88/1 व 88/2 में कुल 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन मेरे भाई श्री गिरधारी के नाम खरीद की हुई है। जिसका पॉवर मेरे नाम है। उक्त जमीन का म्यूटेशन भरवाने के लिये मैं करीब 1–1/2 वर्ष पूर्व हल्का पटवारी श्री बीरबलराम से मिला तो उन्होने म्यूटेशन भरने, उक्त जमीन तरमीम करवाने एवं गिरदावरी, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाने आदि तमाम कार्यवाही करने की ऐवज में उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन अपने किसी परिचित के नाम रजिस्टरी करवाने पर ही मेरा उक्त कार्य करने हेतु कहा। ऐसा नहीं करने पर जमीन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से कर उक्त जमीन को विवादित बना देने की धमकी दी। जिस पर मैंने डर के मारे मजबूरन 50,000/–रूपये मेरे भाई के नाम म्यूटेशन भरने के वक्त दिये थे। उसी वक्त श्री बीरबलराम ने यह कहा था कि उक्त जमीन तरमीम करवाने से पूर्व मुझे उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन का भूखण्ड देने पर ही जमीन तरमीम करवाउंगा। मैंने मेरे भाई के नाम उक्त जमीन आगे बेचान करने का विचार करने एवं जमीन का पॉवर मेरे नाम होने के कारण मैं दिनांक 16.10.2022 को श्री बीरबलराम पटवारी, पटवार हल्का पुंजला जिला जोधपुर से जमीन की जमाबन्दी, म्यूटेशन, नवीनतम गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज प्राप्त करने के लिये मिला तो श्री बीरबलराम पटवारी ने मेरे उक्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने एवं तरमीम आदि की कार्यवाही करने की ऐवज में पूर्व में म्यूटेशन भरने के वक्त मांगा गया उक्त भूखण्ड (2 बिस्वा जमीन) की रजिस्टरी अपने परिचित के नाम करवाने या उसकी कीमत की राशि 50,00000/–रूपये रिश्वत मांग कर रहा है। मैं पटवारी श्री बीरबलराम को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मैं श्री बीरबलराम पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। अतः कानूनी कार्यवाही करावें। मेरी श्री बीरबलराम पटवारी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है एवं ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। प्रार्थना पत्र के साथ जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज की फोटोप्रति एवं मेरे आधार कार्ड की फोटोप्रति दे रहा हूं।

दिनांकः– 17.10.2022

भवदीय
एसडी/
(मनोज ग्वाला)
पिता का नाम– तेजाराम, उम्र 32
निवासी निवासी नया जाटावास, मदेरणा
कॉलोनी कृषिमण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर

एसडी डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति.पु. अधीक्षक
दिनांक 17.10.2022

एसडी श्री मुकेशसिंह
दिनांक 18.10.2022
एसडी श्री सुरेन्द्रसिंह
दिनांक 18.10.2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 17.10.2022 समय 02.30 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री मनोज ग्वाला पुत्र श्री तेजाराम उम्र 32 वर्ष निवासी नया जाटावास, मदेरणा कॉलोनी कृषिमण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष एक टाईपशुद्वा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि – मनोज ग्वाला पुत्र श्री तेजाराम उम्र 32 वर्ष निवासी नया जाटावास, मदेरणा कॉलोनी कृषिमण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर का रहने वाला हूँ। भदवासिया पुंजला क्षेत्र में खसरा नं. 88, 88/1 व 88/2 में कुल 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन मेरे भाई श्री गिरधारी के नाम खरीद की हुई है। जिसका पॉवर मेरे नाम है। उक्त जमीन का म्यूटेशन भरवाने के लिये मैं करीब 1–1/2 वर्ष पूर्व हल्का पटवारी श्री बीरबलराम से मिला तो उन्होने म्यूटेशन भरने, उक्त जमीन तरमीम करवाने एवं गिरदावरी, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाने आदि तमाम कार्यवाही करने की ऐवज में उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन अपने किसी परिचित के नाम रजिस्टरी करवाने पर ही मेरा उक्त कार्य करने हेतु कहा। ऐसा नहीं करने पर जमीन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से कर उक्त जमीन को विवादित बना देने की धमकी दी। जिस पर मैंने डर के मारे मजबूरन 50,000/–रूपये मेरे भाई के नाम म्यूटेशन भरने के वक्त दिये थे। उसी वक्त श्री बीरबलराम ने यह कहा था कि उक्त जमीन तरमीम करवाने से पूर्व मुझे उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन का भूखण्ड देने पर ही जमीन तरमीम करवाउंगा। मैंने मेरे भाई के नाम उक्त जमीन आगे बेचान करने का विचार करने एवं जमीन का पॉवर मेरे नाम होने के कारण मैं दिनांक 16.10.2022 को श्री बीरबलराम पटवारी, पटवार हल्का पुंजला जिला जोधपुर से जमीन की जमाबन्दी, म्यूटेशन, नवीनतम गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज प्राप्त करने के लिये मिला तो श्री बीरबलराम पटवारी ने मेरे उक्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने एवं तरमीम आदि की कार्यवाही करने की ऐवज में पूर्व में म्यूटेशन भरने के वक्त मांगा गया उक्त भूखण्ड (2 बिस्वा जमीन) की रजिस्टरी अपने परिचित के नाम करवाने या उसकी कीमत की राशि 50,00000/–रूपये रिश्वत मांग कर रहा है। मजमून रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित करने हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फोटो पहचान पत्र की प्रति एवं परिवादी की जमीन से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां सुपुर्द की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं परिवादी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी की रिपोर्ट का पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ की तो परिवादी श्री मनोज ग्वाला ने अपनी रिपोर्ट में अंकित एवं दरियाफ्त पर बताये तथ्य ही बताये। मजमून रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत होना पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करावाये जाने का निर्णय लिया गया। ताबाद कार्यालय में उपस्थित श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में बुलाकर कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री मनोज ग्वाला व श्री छैलाराम कानि. का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो के मोबाईल नम्बर का आपस में आदान प्रदान करवाये गये तथा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर अलमारी से मंगवाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री मनोज ग्वाला व श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को उसके संचालन विधि की समझाईश कर वक्त 04.07 पी.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु परिवादी श्री मनोज ग्वाला के साथ आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु उदयमन्दिर रोड़ मिर्धा सर्किल जोधपुर के पास स्थित पटवार कार्यालय पुंजला के लिये रवाना किया गया। वक्त 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मनोज ग्वाला व कानि. श्री छैलाराम नं. 46 रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गया हुए पुनः उपस्थित आये एवं कानि. श्री छैलाराम नं. 46 ने स्वीच ऑफ शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री मनोज ग्वाला ने बताया कि मैं व छैलाराम कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर पटवार कार्यालय पुंजला के पास पहुंचे जहां श्री छैलाराम कानि. ने मुझे एकान्त में ले जाकर आवश्यक हिदायत के पश्चात् कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द किया एवं श्री बीरबलराम पटवारी से रिश्वत राशि मांग कम में वार्ता करने हेतु मुझे पटवार कार्यालय पुंजला के लिये रवाना किया गया। जहां पर मुझे बीरबलराम पटवारी कार्यालय में बैठे मिले जिन्होने मेरे भाई के नाम क्रय की गई जमीन को तरमीम करवाने एवं आवश्यक दस्तावेज देने की ऐवज में क्रय की गई जमीन में से 2 बिस्वा जमीन का भूखण्ड देने की बात कही तथा

साथ ही कहा कि आपने जो पूर्व में 50,000/–रूपये दिये है वो रिश्वत के नहीं होकर व्यवहार की राशि है, साथ ही कहा की आप शाम को घर आ जाना आराम से बात कर लेंगे। उक्त वार्ता होने के बाद में श्री छैलाराम कानि. के पास वापस आया तथा उनको डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। जिनका स्वीच ऑफ श्री छैलाराम कानि. द्वारा करने पर मैंने सम्पूर्ण हालात श्री छैलाराम कानि. को भी बताये तथा हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके पास आयें। मेरे व श्री बीरबलराम पटवारी के मध्य हुई वार्ता रिकार्डर में रिकार्ड है। श्री छैलाराम कानि. ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का सुना गया तो परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद हुई तथा आरोपी श्री बीरबलराम द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करने हेतु शाम को अपने घर बुलाने का कहना पाया जाने पर परिवादी को पुनः रिश्वति राशि मांग के क्रम में स्पष्ट वार्ता करने हेतु शाम को पुनः श्री छैलाराम के साथ मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर भेजकर रिश्वत राशि मांग के क्रम में वार्ता करवाया जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 08.50 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को सुपुर्द कर कानि. श्री छैलाराम व परिवादी श्री मनोज ग्वाला को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री बीरबलराम से रिश्वत राशि मांग के क्रम में पुनः स्पष्ट वार्ता करने हेतु आरोपी श्री बीरबलराम के पुंजला गांधीनगर जोधपुर स्थित रहवासीय मकान के लिये परिवादी के निजी वाहन कार से रवाना किया। वक्त 10.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मनोज ग्वाला व कानि. श्री छैलाराम नं. 46 रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गये हुए पुनः उपस्थित आये एवं कानि. श्री छैलाराम नं. 46 ने स्वीच ऑफ शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री मनोज ग्वाला ने बताया कि मैं व छैलाराम कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर श्री बीरबलराम पटवारी के पुंजला, गांधी नगर जोधपुर स्थित रहवासीय मकान के पास पहुंचे जहां श्री छैलाराम कानि. ने मुझे एकान्त में ले जाकर आवश्यक हिदायत के पश्चात् कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द किया एवं श्री बीरबलराम पटवारी से रिश्वत राशि मांग के क्रम में वार्ता करने हेतु मुझे श्री बीरबलराम पटवारी के रहवासीय मकान के लिये रवाना किया। मैं श्री बीरबलराम के रहवासीय मकान पर पहुंचा तो श्री बीरबलराम अपने रहवासीय मकान पर उपस्थित मिला तथा मेरे भाई के नाम खरीदशुदा जमीन की तरमीम करवाने एवं जमाबन्दी, म्यूटेशन, नवीनतम गिरदावरी एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने की वार्ता की तो पटवारी श्री बीरबलराम मेरे उक्त जायज कार्य की ऐवज में खरीद की गई जमीन में से 2 बिस्वा क्षेत्र का भूखण्ड देने या भूखण्ड के कीमत की राशि की कैलकुलेटर से गणना कर 25,80000/–रूपये मांग की। उक्त वार्ता होने के बाद में श्री छैलाराम कानि. के पास वापस आया तथा उनको डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। जिनका स्वीच ऑफ श्री छैलाराम कानि. द्वारा करने पर मैंने सम्पूर्ण हालात श्री छैलाराम कानि. को भी बताये तथा हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके पास आयें। मेरे व श्री बीरबलराम पटवारी के मध्य हुई वार्ता रिकार्डर में रिकार्ड है। श्री छैलाराम कानि. ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद होकर रिश्वत राशि मांगने की स्पष्ट पुष्टि हुई। तथा रिश्वत राशि कल दिनांक 18.10.2022 को बाद दोपहर देना तय हुआ। जिस पर आरोपी पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली तय राशि 25,80000/–रूपये की व्यवस्था कर तय किये गये समय करीब दोपहर 03.00 बजे कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। दिनांक 18.10.2022 को दो कार्मिक भिजवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर शहर सर्किल जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नाम तहरीर क्रमांक स्पेशल–1 दिनांक 18.10.2022 भेजी गई। वक्त 03.30 पी.एम. पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर शहर सर्किल जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर से दो कार्मिक उपस्थित आये तथा मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। उपस्थित आये कार्मिकों को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उन्होने बारी–बारी से अपना परिचय श्री सुरेन्द्रसिह पुत्र श्री लालसिह जाति सिख उम्र 40 वर्ष निवासी 8/305 चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल हैल्पर सी–2 जोधपुर विधुत वितरण निगम, कचहरी परिसर जोधपुर मोबाईल नं. 9460552363 व श्री मुकेशसिंह पुत्र श्री हरवंशसिह जाति राय सिख उम्र 23 वर्ष निवासी गली नं. 2 राम मौहल्ला, नागौरी गेट जोधपुर हाल तकनीकी सहायक सी–2 जोधपुर विधुत वितरण निगम, कचहरी परिसर जोधपुर मोबाईल नं. 7378148387 के रूप में दिया। जिन्हें बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया। वक्त 03.40 पी.एम. पर पूर्व से स्पेशल युनिट एसीबी जोधपुर से पूर्व से पाबन्द शुदा जाब्ता सर्व श्री मेघराज हैडकानि. नं. 63 श्री गणेशराम कानि. नं. 219, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432 मय सरकारी वाहन RJ 14 UC 8795 व चालक श्री प्रेमसिंह कानि. नं. 535 उपस्थित आये। इसी दरम्यान पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मनोज ग्वाला भी उपस्थित आया।

जिस पर परिवादी श्री मनोज ग्वाला व उपस्थित दोनो कार्मिकों का आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा दिनांक 17.10.2022 को पेश टाईपशुदा रिपोर्ट दोनो कार्मिकों को पढवाई गई एवं परिवादी व आरोपी श्री बीरबलराम के मध्य दिनांक 17.10.2022 को पटवार कार्यालय में तथा श्री बीरबलराम पटवारी के रहवासीय मकान पर रिश्वत राशि मांग क्रम में रूबरू हुई वार्ताएं जो मन् निरीक्षक पुलिस के पास रखे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड है के मुख्य अंश को भी दोनो गवाहान को सुनवाया गया। जिस पर दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी से आवश्यक पुछताछ कर ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान नें अपने–अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। उक्त रिकार्ड वार्ताओं की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की जावेगी। ताबाद वक्त 04.10 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस ने दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री मनोज ग्वाला पुत्र श्री तेजाराम उम्र 32 वर्ष निवासी नया जाटावास, मदेरणा कॉलोनी कृषिमण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर द्वारा आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,21000/–रूपये पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री मनोज ग्वाला ने 500–500 रूपये के 6 नोट व 2000–2000 रूपये 9 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि कुल 21,000/–रूपये पेश किये एवं शेष रूपयों की व्यवस्था नहीं होने से 25 (पच्चीस) लाख रूपयें जिसमें 500–500 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 600 नोट एवं 2000–2000 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 1100 नोट पेश किये जो कुल राशि 25 (पच्चीस) लाख रूपयें (डमी करेंसी) इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 25,21,000 रूपयें (21,000 रूपयें भारतीय मुद्रा एवं 25,00,000 रूपयें डमी करेंसी) पेश किये। उक्त पेश की गई डमी राशि के प्रत्येक नोटों पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किये गये। परिवादी द्वारा उपरोक्त रूबरू गवाहान के मेरे समक्ष पेश किये गये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 21,000 रूपयें के नोटों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9PL 106721
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6BA 837616
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8RT 850845
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9DC 704502
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1DM 304101
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4KR 505103
7.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	6GL 513890
8.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	3BT 181078
9.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	1EQ 550850
10.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	6AG 456389
11.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	7DP 361750
12.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	4HS 094039
13.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5AP 420386
14.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5LL 853407
15.	2000 रूपये का एक नोट नम्बर	5HN 983582

उपरोक्त भारतीय मुद्रा की राशि 21,000 रूपये के नोट एवं 25,00000/– रूपयें भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाली 500–500 रूपये के डमी करेंसी के कुल 600 नोट एवं 2000–2000 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 1100 नोट कुल राशि 25,00000/– रूपयें जिन पर मनोरंजन बैक का खजाना 0AA000000 सभी नोटो पर समान अंकित है। उक्त भारतीय मुद्रा के नोटो पर एवं डमी करेन्सी के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवानें हेतु श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर गवाहान की मौजूदगी में कुल 1715 नोट, कुल राशि 25,21,000 रूपयें (15 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 1700 नोट डमी करेंसी) को एक अखबार पर रखा जाकर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक के द्वारा उक्त सभी नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर डमी राशि कुल 1700 नोटों (25 लाख) को अखबार में लपेटकर अखबार के ऊपर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर अखबार को धागे से बांधा गया एवं 500–500 रूपये के 6 नोट व 2000–2000 रूपये 9 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि कुल 21,000/–रूपये धागे सें डमी नोटो के बण्डल पर बांधा गया। परिवादी श्री मनोज ग्वाला की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से लिवाई जाकर परिवादी का मोबाईल फोन नम्बर 9414141935 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त

फिनोफथलीन पाउडर युक्त 21,000 व डमी करेंसी 25,00000 रूपयें जो श्री बीरबलराम पटवारी को दी जानी है, की राशि के बण्डल को श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से ही परिवादी के पास मौजुद सफेद थैली में रखवाया गया। तत्पश्चात गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मनोज ग्वाला को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को आरोपी द्वारा मांगने पर ही सफेद थैली से निकालकर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। ततपश्चात श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से ही गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी को सुपुर्द करवाई गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं का मोबाईल फोन, छोटी मात्रा में नगद रूपये, स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 2500/–रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत के साथ ट्रेप कार्यवाही से पृथक किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढाई गई। पढकर समझकर सही होना मान कर सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् वक्त 05.46 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मनोज ग्वाला के मोबाईल नं. 9414141935 से आरोपी श्री बीरबलराम के मोबाईल नं. 9828713933 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वाट्सऐप वॉयस कॉल करवाया जाकर आरोपी की लोकेशन व मिलने के बारे में वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री बीरबलराम ने स्वयं का अधिकारियों के पास होकर व्यस्त होना बताया तथा घन्टे भर बाद पुनः कॉल कर बात करने को कहा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया गया। काफी समय से आरोपी का परिवादी के मोबाईल पर कॉल नहीं आने पर वक्त 09.07 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मनोज ग्वाला के मोबाईल नं. 9414141935 से आरोपी श्री बीरबलराम के मोबाईल नं. 9828713933 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वाट्सऐप वॉयस कॉल करवाया जाकर आरोपी की लोकेशन व मिलने के बारे में वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री बीरबलराम ने अपने घर पर होना तथा रात्रि हो जाने के कारण कल दिनांक 19.10.2022 को प्रातः 08.00–09.00 बजे मिलने हेतु परिवादी को अपने घर पर ही बुलाने की बात कही गई। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी से हुई वार्ता के अनुसार अब आज अग्रिम कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं होने पर परिवादी को सुपुर्द की गई रिश्वति राशि का सफेद थैली में रखा बण्डल रूबरू गवाहान श्री गणेशराम वरिष्ठ लिपिक से मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी में सुरक्षित रखाया गया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर को भी अलमारी में सुरक्षित रखा जाकर अलमारी को लॉक किया गया एवं चाबी मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखी। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को आवश्यक गोपनीयतता की हिदायत देकर दिनांक 19.10.2022 को प्रातः 07.30 ए.एम. कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। दिनांक 19.10.2022 को वक्त 07.35 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री मनोज ग्वाला उपस्थित आया। जिस पर फिनोफ्थलीन लगा रिश्वति राशि का सफेद थैली में रखा बण्डल रूबरू गवाहान श्री गणेश राम वरिष्ठ

लिपिक से मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी का ताला खुलवाकर बाहर निकलवाकर परिवादी को सुपुर्द कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। **ताबाद वक्त 08.50 ए.एम. पर** परिवादी श्री मनोज ग्वाला को हमराह श्री छैलाराम कानि. नं. 46 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर परिवादी के निजी वाहन से मय रिश्वति राशि के तथा मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सुरेन्द्रसिंह हेल्पर सी–2 व श्री मुकेशसिंह तकनीकी सहायक सी–2 एवं ब्यूरो जाब्ता श्रीमती सुनीता डूडी निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर हैड कानि. नं. 56, श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63 श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री मगराज कानि. नं. 141, श्री गणेशराम कानि. नं. 219, श्रीमती सीता महिला कानि. नं. 172, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432. , सरकारी वाहन RJ 14 UC 8795 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 एवं निजी मोटर साईकिलों से, हमराह ट्रेप बॉक्स, आवश्यक ट्रेप सामग्री, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्र.निब्यूरो जोधपुर से आरोपी श्री बीरबलराम के पुंजला जोधपुर स्थित रहवासीय मकान की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना हुए। वक्त 09.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त समस्त हमराहयान के आरोपी श्री बीरबलराम के रहवासीय मकान से कुछ दूरी पहले पहुंचे जहां पर पुर्व निर्देशानुसार परिवादी श्री मनोज ग्वाला, हमराह कानि. श्री छैलाराम उपस्थित मिले। श्री छैलाराम कानि. द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कार्यालय से साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी श्री मनोज ग्वाला को सुपुर्द कर आरोपी श्री बीरबलराम से रिश्वत राशि लेन–देन करने हेतु आरोपी के घर के लिये रवाना किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान ने अपनी–अपनी उपस्थित छिपाते हुए पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। कुछ समय पश्चात् श्री मनोज ग्वाला बिना कोई गोपनीय ईशारा किये अपनी गाड़ी लेकर वापस आया तथा माता के थान की तरफ आगे जाकर रोड़ पर रूका जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस समस्त हमराहयान को आने का ईशारा कर निजी मोटरसाईकिल से परिवादी के पास पहुंचा एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया। परिवादी ने बताया की आरोपी श्री बीरबलराम अपने घर पर उपस्थित नहीं होने पर मैंने मेरे मोबाईल नं. 9414141935 आरोपी श्री बीरबलराम के मोबाईल नं. 9828713933 पर कॉल किया तो आरोपी श्री बीरबलराम ने मुझे रामसागर चौराहा, माता का थान जोधपुर पर बुलाया है। उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हुई है। परिवादी के बतायेनुसार उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाये जाने का निर्णय लिया जाकर कानि. श्री छैलाराम को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी व श्री छैलाराम कानि. को परिवादी के निजी वाहन से आवश्यक हिदायत के साथ रामसागर चौराहा की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के सरकारी वाहन मय निजी मोटरसाईकिलों से परिवादी के पीछे–पीछे रामसागर चौराहा की तरफ रवाना होकर आरोपी श्री बीरबलराम द्वारा तय किये गये स्थान रामसागर चौराहा से कुछ दूरी पहले पहुंचे जहां पर पुर्व निर्देशानुसार परिवादी श्री मनोज ग्वाला, हमराह कानि. श्री छैलाराम उपस्थित मिले। परिवादी को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री बीरबलराम गाड़ी में बैठकर रिश्वति राशि प्राप्त करता है तो अपनी गाड़ी के इण्डीकेटर ऑन कर गोपनीय ईशारा करे ताकी मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान को पता लगे की आरोपी व परिवादी के बीच रिश्वति राशि का लेन–देन हो चुका है। ताबाद श्री छैलाराम कानि. नं. 46 द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कार्यालय से साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी श्री मनोज ग्वाला को सुपुर्द करवाकर आरोपी श्री बीरबलराम द्वारा तय किये गये स्थान रामसागर चौराहा की तरफ उनके निजी वाहन से रवाना किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान ने अपनी–अपनी उपस्थित छिपाते हुए पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति परिवादी की गाड़ी में परिवादी के साईड वाली सीट पर आकर बैठा। वक्त 09.29 ए.एम. पर परिवादी श्री मनोज कुमार ग्वाला ने रामसागर चौराया माता का थान जोधपुर पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी के इण्डीकेटर ऑन कर गोपनीय ईशारा किया जिस पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस हमराह उपरोक्त दोनो मौतबिरान मय ब्यूरो टीम के निजी मोटर साईकिलों से एवं सरकारी वाहन से परिवादी की गाड़ी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी ने अपने गाड़ी का साईड वाला ग्लास उतार कर पूर्व में दिया गया डिजीटल वायस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसका स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दरम्यान परिवादी के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वति राशि को परिवादी की गाड़ी में गिरा दिया। तत्पश्चात परिवादी ने अपनी पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री बीरबलराम पटवारी पटवार मण्डल पुंजला है जिन्होने अभी–अभी मेरे से मेरे जायज काम की ऐवज में मांग कर 25,21000/–रूपये प्राप्त किये है। जिस पर गाड़ी के आगे का बांया गेट खोलकर परिवादी की पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को मन् निरीक्षक मय हमराहयान का परिचय देकर उस व्यक्ति का परिचय पुछने पर गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगा जिस पर ब्यूरो

जाब्ता द्वारा आरोपी के दोनो हाथ कलाई के उपर से पकड़वाकर उन्हे परिवादी की गाड़ी में बिठाया जाकर तसली से उसका पुनः परिचय पुछा गया तो उसने अपना नाम श्री बीरबलराम पुत्र श्री खियाराम जाति विश्नोई उम्र 44 वर्ष निवासी भादूओ की ढाणिया, भाखरी, पोस्ट ढेलाना जिला जोधपुर हाल निवासी 23 शिव विहार मगरा पूंजला गांधीनगर के पीछे माता का थान रोड़ जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री बीरबलराम से पुछा गया कि क्या आप, आपके पास गाड़ी की ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति को जानते हो तथा इनसे अभी कोई इनके कार्य की ऐवज में कोई राशि प्राप्त की है तो श्री बीरबलराम ने बताया कि यह श्री मनोज ग्वाला है इनकी ग्राम भदवासिया पटवार मण्डल पुंजला में 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन अपने भाई गिरधारीराम के नाम खरीदशुदा है। उक्त जमीन श्री मनोज ग्वाला द्वारा अन्य नागौर की पार्टी को बेचान की जानी थी। अगली पार्टी से उक्त भूमि में से एक भूखण्ड मेरे परिवार के किसी सदस्य को दिलाने बाबत पार्टी से मिटींग करवाने हेतु मेरे पास आया था तथा राशि के बारे में कोई जवाब नहीं दिया तथा जोर–जोर से चिल्लाकर कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने लगा। इसी दरम्यान मौके पर आम रोड़ होने के कारण भीड़ इकट्ठी हो जाने के कारण आरोपी के दोनो हाथ उपरोक्त ब्यूरो जाब्ता से ही पकड़े हुए को जाब्ता सहित गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाकर एवं गाड़ी में गिराई हुई रिश्वति राशि को यथावत रखते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाहान दस्तयाब शुदा आरोपी के परिवादी की गाड़ी एवं निजी मोटरसाईकिलों एवं सरकारी टवेरा वाहन से पुलिस थाना माता का थान, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर पहुंचे। जहां पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनि.ब्यूरो के निर्देशानुसार श्रीमती सुनिता डुडी निरीक्षक पुलिस हमराह जाब्ता श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्रीमती सीता महिला कानि. नं. 172 को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री बीरबलराम के रहवासीय मकान नं. 23 शिव विहार मगरा पूंजला गांधीनगर के पीछे माता का थान रोड़ जोधपुर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात् परिवादी की गाड़ी को लॉक करवाकर सुरक्षार्थ जाब्ता मामुर कर ड्यूटी अधिकारी को मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् बीरबलराम को थाने की महिला डेस्क रूम में मय जाब्ता के बैठाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री मनोज ग्वाला के रूबरू आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त साफ कॉच की गिलासो में माता का थान पुलिस थाने के पानी के केम्पर से पीने का साफ पानी बोतल में मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित झाईनुमा हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल का रंग झाईनुमा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईनुमा हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल रंग झाईनुमा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात पुनः दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को साथ लेकर परिवादी की गाड़ी के पास पहुंचे तथा परिवादी से गाड़ी का लॉक खुलवाकर गाड़ी में पड़े रिश्वति राशि सफेद थैली में रखी का बण्डल व खुली बिखरी पड़ी राशि को गवाह श्री मुकेशसिंह से उठवाया तथा गाड़ी के अन्दर जहां–जहां पर खुली रिश्वति राशि एवं रिश्वति राशि सफेद थैली में रखी का बण्डल पड़ा मिला उस स्थान को मार्क किया जाकर खुली पड़ी राशि के नोटो को गिनवाया गया तो उक्त राशि 500–500 रूपये के 6 नोट राशि 3000/–रूपये व 2000–2000 रूपये के 9 नोट राशि 18000 रूपये कुल राशि 21,000/–रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के होना पाये गये जिस पर गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह को पूर्व मुर्तिबाशुदा फर्दपेशकशी सुपुर्द कर उपरोक्त बरामद हुई रिश्वति राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द मुताबिक होना पाये गये। तत्पश्चात् गाड़ी को पुनः लॉक करवाया जाकर उपरोक्त बरामद हुई खुली राशि एवं शेष बरामद हुई रिश्वत राशि सफेद थैली में रखी हुई का बण्डल जो राशि ज्यादा होने के कारण थाने के अन्दर जाकर गिनवाने का निर्णय लेकर उक्त बरामदा खुली राशि एवं रिश्वत राशि सफेद थैली में रखी का बण्डल गवाह श्री

मुकेशसिंह के पास ही रहने दी जाकर हमराह गवाह एवं रिश्वत राशि के पुनः महिला डेस्क रूम में पहुंचा जहां रिश्वत राशि के सफेद थैली में रखे बण्डल जिसमें रखे डमी करेन्सी के नोटों की गिनती गवाह श्री मुकेशसिंह से करवाई गई तो 500–500 डमी करेन्सी के 600 नोट राशि 3 लाख व 2000–2000 के डमी करेन्सी के 1100 नोट राशि 22 लाख कुल राशि 25 लाख होकर प्रत्येक नोट पर मन् निरीक्षक पुलिस के लघु हस्ताक्षर होना एवं नोटो पर मनोरंजन बैक का खजाना 0AA000000 समान अंकित होना पाया गया। उक्त भारतीय मुद्रा के नोट 21,000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये एवं उपरोक्त भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाली डमी करेंसी के 500–500 रूपये के कुल 600 नोट एवं 2000–2000 रूपये डमी करेंसी के कुल 1100 नोट कुल राशि 25,00,000/– रूपयें जिन पर मनोरंजन बैक का खजाना 0AA000000 समान अंकित होकर मन् निरीक्षक पुलिस के लघु हस्ताक्षर कर रखे को जिस अखबार में पूर्व में लपेटकर सफेद थैली में रखे हुए थे उस अखबार एवं सफेद थैली पर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर पुनः अखबार में लपेट कर सफेद थैली में डालकर सफेद थैली को कपड़े की थैली में डालकर, प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी को परिवादी श्री मनोज ग्वाला से उक्त रिश्वति राशि प्राप्त करने के बारे में स्पष्टीकरण पूछा गया तो आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी ने कहा कि मैने श्री मनोज ग्वाला से कोई रिश्वति राशि प्राप्त नहीं की है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री मनोज ग्वाला ने आरोपी बीरबलराम पटवारी के उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि मैंने करीब दो वर्ष पूर्व ग्राम भदवासिया पटवार मण्डल पुंजला में 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन मेरे भाई श्री गिरधारी के नाम खरीद की। उक्त खरीद की गई जमीन का म्यूटेशन भरवाने के लिये मैं करीब 1 वर्ष पूर्व हल्का पटवारी श्री बीरबलराम से मिला तो उन्होने म्यूटेशन भरने, उक्त जमीन तरमीम करने एवं गिरदावरी, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाने आदि तमाम कार्यवाही करने की ऐवज में उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन अपने किसी परिचित के नाम रजिस्टरी करवाने पर ही मेरा उक्त कार्य करने हेतु कहा। ऐसा नहीं करने पर जमीन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से कर उक्त जमीन को विवादित बना देने की धमकी दी। जिस पर मैंने डर के मारे मजबूरन 50,000/–रूपये मेरे भाई के नाम म्यूटेशन भरने के वक्त दिये थे। उसी वक्त श्री बीरबलराम ने यह कहा था कि उक्त जमीन तरमीम करने से पूर्व मुझे उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन का भूखण्ड देने पर ही जमीन तरमीम करवाउंगा। मैंने मेरे भाई के नाम उक्त जमीन आगे बेचान करने का विचार कर दिनांक 16.10.2022 को श्री बीरबलराम पटवारी से जमीन की जमाबन्दी, म्यूटेशन, नवीनतम गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज प्राप्त करने के लिये मिला तो श्री बीरबलराम पटवारी ने म्यूटेशन की वक्त मांगा गया उक्त भूखण्ड की रजिस्टरी अपने परिचित के नाम करवाने या उसकी कीमत की राशि पचास लाख रूपये देने पर ही उपरोक्त जमीन तरमीम करवाने एवं उक्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने की बात कही। जिस पर मेरे द्वारा उक्त भूखण्ड देने में असमर्थता जताने एवं मेरा जायज कार्य करने की विनती करने पर श्री बीरबलराम पटवारी मेरे उपरोक्त जायज काम की ऐवज पास पड़े कैलकुलेटर से राशि की गणना कर 25,80000/–रूपये मांग कर लेने के लिये सहमत हुआ। मगर मेरे पास इतनी बड़ी राशि नहीं होने के कारण मैंने 21,000/–रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट एवं 25,00000/–रूपये डमी करेन्सी के नोट कुल राशि 25,21,000/–रूपये की व्यवस्था होने पर आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी द्वारा आज तय किये गये स्थान रामसागर चौराहा, माता का थान, जोधपुर पर उक्त राशि बतौर रिश्वत मेरे से प्राप्त की है। जिस पर आरोपी को पुनः उक्त रिश्वति राशि परिवादी से प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब मेरे से गलती हो गई। तत्पश्चात एक साफ गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त रंगहीन घोल की गिलास एवं ट्रेप बॉक्स से कपड़े की साफ छिन्दी साथ लेकर हमराह गवाहान एवं परिवादी के परिवादी की गाड़ी के पास पहुंचे। जहां गाड़ी का लॉक खुलवाया जाकर उक्त साथ लाये साफ कपड़े की छिन्दी को गाड़ी में जहां–जहां पड़ी खुली रिश्वति राशि एवं रिश्वत राशि का सफेद थैली में रखा बण्डल मिला जहां पर पूर्व में मार्क किया हुआ है उस स्थान का बार बार रगड़कर तैयार सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल की गिलास में डुबोया गया तो घोल कर रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त गुलाबी घोल की गिलास मय छिन्दी को साथ लेकर मय हमराहयान के पुनः थाने के अन्दर महिला डेस्क में पहुंचा तथा उक्त गुलाबी घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क सी–1 व सी–2 अंकित किया गया। उक्त धोवन को लेने में प्रयुक्त कपड़े की छिन्दी को सुखाकर सम्बन्धितानगणों के हस्ताक्षर करवाकर

एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर कपड़े की थैली की सिलाई कर कपड़े की थैली को सील मोहर किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से लिवाई गई आरोपी की पहनी हुई पेन्ट हुए शर्ट के उपर की जेब में एक मोबाईल फोन एमआई कम्पनी का ड्यूल सिम जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 860588053567130 2. 860588053567148 जिसमें एक सिम वोडा कम्पनी जिसके नम्बर 9828713933 की एवं दूसरी सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर 9849020898 होना पाई पाया गया। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया तथा इसके अलावा एक पर्स मिला जिसमे रखी नगद राशि 500/–रूपये मिले। नगद मिली राशि के बारे में पुछने पर अपने खर्चे के लिये अपने पास रखना बताया। आरोपी का उक्त जवाब संतोषप्रद होने से नगद राशि व पर्स पुनः आरोपी को लौटाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के पास कोई संदिग्ध राशि, दस्तावेज नहीं मिले, ना ही कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री बीरबलराम से परिवादी को उनकी उपरोक्त क्रय की गई जमीन के परिवादी द्वारा चाहे गये दस्तावेज जमाबन्दी, नामान्तरण, नक्शा ट्रेस आदि की प्रमाणित प्रतियां के बारे में पूछा गया तो आरोपी द्वारा कहा मेरे द्वारा अभी तैयार नहीं की गई है। जिस पर पास खड़े परिवादी ने कहा कि श्री बीरबलराम पटवारी ने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् मेरे उक्त वांछित दस्तावेज एक घन्टे में तैयार कर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। इस पर परिवादी उक्त जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज पृथक से पटवार मण्डल से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में लिये गये प्रार्दशों एवं बरामद की गई रिश्वत राशि को शील्ड करने में प्रयुक्त की गई सील का नमुना सील अंकित किया जाकर फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन मुर्तिब की जाकर संबंधितगण को पढकर सुनाई गई, जिसे सुन समझ सही होना मान संबंधितगण ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् वक्त 03.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दस्तयाब शुदा मुलजिम श्री बीरबलराम को थाना सन्तरी व ब्यूरो जाब्ता के सुरक्षार्थ सुपुर्द कर एवं लिये गये प्रार्दश एवं रिश्वति राशि को भी ब्यूरो जाब्ता को सुरक्षित सम्भलाई जाकर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह परिवादी श्री मनोज ग्वाला, मय स्वतन्त्र गवाहान मय श्री रामचन्द्रसिंह कानि. के घटना स्थल की तरफ मय सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. के रवाना होकर घटना स्थल रामसागर चौराहा माता का थान पहुंचा एवं वक्त 03.10 पी.एम. पर परिवादी श्री मनोज ग्वाला की निशादेही पर रूबरू मौतबिरान घटना स्थल का निरीक्षण का फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवायें। ताबाद घटना स्थल से समस्त हमराहयान के पुलिस थाना माता के थान के लिये रवाना होकर पुलिस थाना माता का थान पहुंचा एवं दस्तयाब शुदा मुलजिम एवं प्रार्दश, रिश्वति राशि अपनी निगरानी में लिया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री बीरबलराम पुत्र श्री खियाराम जाति विश्नोई उम्र 44 वर्ष निवासी भादूओ की ढाणिया, भाखरी, पोस्ट ढेलाना जिला जोधपुर हाल निवासी 23 शिव विहार मगरा पूंजला गांधीनगर के पीछे माता का थान रोड़ जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार उनकी पत्नी श्रीमती मांगीदेवी को जरिये मोबाईल दी गई। तत्पश्चात् मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान एवं समस्त हमराहयान तथा गिरफ्तारशुदा आरोप श्री बीरबलराम पटवारी पटवार मण्डल पुंजला के फर्दातानुसार मालखाना आईटम एवं ट्रेप सामग्री साथ लेकर पुलिस थाना माता का थान से जरिये सरकारी वाहन मय निजी मोटरसाईकिलों से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के लिये रवाना होकर ब्यूरो चौकी पहुंचे तथा प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपी श्री बीरबलराम के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन मार्क सी–1, सी–2, बरामदा शील्ड चिट रिश्वति राशि 21,000/– रूपयें, एवं बरामदा डमी करेंसी राशि 25,00000/–रूपये का बण्डल सफेद थैली में डालकर एक दुसरे कपड़े की थैली में किया गया शील्डशुदा पैकेट, कपड़े की छिन्दी का शिल्ड शुदा पैकेट, मय आरोपी का जब्तशुदा मोबाईल इत्यादि मुताबिक फर्द समस्त मालखाना आर्टिकल मालखाना प्रभारी श्री रूपसिंह हैडकानि. नं. 91 को सुरक्षित सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् श्रीमती सुनिता डूडी निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान आरोपी श्री बीरबलराम के रहवासीय मकान नं. 23 शान्ति विहार मगरा पूंजला गांधीनगर के पीछे माता का थान रोड़ जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर की खाना तलाशी फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई मूल ही दो प्रतियां मे अपने अग्रेषण पत्र के साथ मय फर्दानुसार राशि एवं दस्तावेज पेश किये। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाहान श्री मुकेशसिंह एवं श्री सुरेन्द्रसिंह तथा परिवादी श्री मनोज ग्वाला को कल दिनांक 20.10.2022 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री बीरबलराम का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने श्रीमान मेडीकल

ऑफिसर राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर व बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक–पृथक तहरीर लिखकर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन चालक श्री प्रेमसिंह के के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये रवाना होकर आरोपी श्री बीरबलराम का स्वास्थ्य परीक्षण करा आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर बन्द हवालात करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। दिनांक 20.10.2022 को प्रातः 09.00 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री सुरेन्द्रसिंह व श्री मुकेशसिंह एवं परिवादी श्री मनोज ग्वाला कार्यालय हाजा उपस्थित आये। तत्पश्चात् वक्त 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मनोज ग्वाला एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री मनोज ग्वाला एवं आरोपी श्री बीरबल पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू दो वार्तालाप दिनांक 17.10.2022 जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त रिकार्ड वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री मनोज ग्वाला ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। उक्त तीनो सीडीयों में एक सीडी को मूल मानकर उक्त सीडी एक कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। बाकी दो सीडीयों डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रहने दी गई। मूल सीडी का शील्डशुदा पैकेट एवं खुली दोनों डब सीडी को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री रूपसिंह हैडकानि. नं. 91 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। वक्त 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मनोज ग्वाला एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री मनोज ग्वाला एवं आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व दिनांक 18.10.2022 को मोबाईल पर वाट्सअप कॉलिग 2 वार्ताएं व दिनांक 19.10.2022 को लेन देन से पूर्व एवं वक्त लेन देन परिवादी श्री मनोज ग्वाला व आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर के मध्य रूबरू वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त रिकार्ड वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता एक आवाज परिवादी श्री मनोज ग्वाला ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। उक्त तीनो सीडीयों में एक सीडी को मूल मानकर उक्त सीडी एक कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। बाकी दो सीडीयों डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रहने दी गई। मूल सीडी का शील्डशुदा पैकेट एवं खुली दोनों डब सीडी को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री रूपसिंह हैडकानि. नं. 91 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी मनोज ग्वाला ने करीब दो वर्ष पूर्व ग्राम भदवासिया पटवार मण्डल पुंजला में 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन उसके भाई श्री गिरधारी के नाम खरीद की थी। उक्त खरीद की गई जमीन का म्यूटेशन भरवाने के लिये परिवादी करीब 1–1/2 वर्ष पूर्व हल्का पटवारी श्री बीरबलराम से मिला तो उन्होने म्यूटेशन भरने, उक्त जमीन तरमीम कराने एवं गिरदावरी, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज उपलब्ध करवाने आदि तमाम कार्यवाही करने की ऐवज में उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन अपने किसी परिचित के नाम रजिस्टरी करवाने पर ही परिवादी का उक्त कार्य करने हेतु कहा। ऐसा नहीं करने पर जमीन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से कर उक्त जमीन को विवादित बना देने की धमकी दी। जिस पर परिवादी ने डर के मारे मजबूरन 50,000/–रूपये उसके भाई के नाम म्यूटेशन भरने के वक्त दिये थे। उसी वक्त श्री बीरबलराम ने यह कहा था कि उक्त जमीन तरमीम करने से पूर्व मुझे उक्त जमीन में से 2 बिस्वा जमीन का भूखण्ड देने पर ही जमीन तरमीम करवाउंगा। परिवादी दिनांक 16.10.2022 को श्री बीरबलराम पटवारी से जमीन की जमाबन्दी, म्यूटेशन, नवीनतम गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज प्राप्त करने के लिये मिला तो

श्री बीरबलराम पटवारी ने म्यूटेशन की वक्त मांगा गया उक्त भूखण्ड की रजिस्टरी अपने परिचित के नाम करवाने या उसकी कीमत की राशि पचास लाख रूपये देने पर ही उपरोक्त जमीन तरमीम करवाने एवं उक्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने की बात कही। जिस पर परिवादी द्वारा उक्त भूखण्ड देने में असमर्थता जताने एवं जायज कार्य करने की विनती करने पर श्री बीरबलराम पटवारी परिवादी मनोज ग्वाला के जायज काम जमीन की जमाबन्दी, म्यूटेशन, नवीनतम गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज देने की ऐवज में मांग की जिस पर दिनांक 19.10.2022 को दो स्वतन्त्र गवाहान के रुबरु ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी को रामसागर चौराहा, माता का थान जोधपुर पर परिवादी की कार में परिवादी से 25,21000/--रूपये (25 लाख रूपये डमी करेंसी के नोट व 21 हजार रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट) रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाकर आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी के दोनो हाथों एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग क्रमशः झाईनुमा हल्का गुलाबी एवं गहरा गुलाबी होना पाया गया। जिस पर आरोपी श्री बीरबलराम पुत्र श्री खियाराम जाति विश्नोई उम्र 44 वर्ष निवासी भादूओ की ढाणिया, भाखरी, पोस्ट ढेलाना जिला जोधपुर हाल निवासी मकान नं. 23 शान्ति विहार मगरा पूंजला गांधीनगर के पीछे माता का थान रोड़ जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री बीरबलराम पटवारी पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी श्री बीरबलराम पुत्र श्री खियाराम जाति विश्नोई उम्र 44 वर्ष निवासी भादूओ की ढाणिया, भाखरी, पोस्ट ढेलाना जिला जोधपुर हाल निवासी 23 शिव विहार मगरा पूंजला गांधीनगर के पीछे माता का थान रोड़ जोधपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर।के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु 07 प्रतियो में सादर प्रेषित है।

भवदीय

(मनीष वैष्णव)

निरीक्षक पुलिस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बीरबलराम, पटवारी, पटवार हल्का पूंजला, तहसील व जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 418/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3639-44 दिनांक 20.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

20.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।